न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 87/2021 Gcms No 2021/231

दायरा तिथि : 22.09.2021

प्राथमिक डिक्री दिनांकः 20.04.2022

वादीः–

भंवरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंहजी जाति राजपुत
निवासी लुन्दाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जब्बरसिंह पुत्र धनसिंहजी
2. भरतसिंह पुत्र करणसिंहजी
3. शैतानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंहजी
4. हनवन्तसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंहजी
5. हरीसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंहजी
6. अम्बाकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंहजी
7. पारसकंवर पुत्री राजेन्द्रसिंहजी तमाम जातिगण राजपुत
   निवासीगण लुन्दाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
8. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थितिः–

1.श्री हेमन्त बोरा .... अभिभाषक वादी की ओर से

2. श्री राजेन्द्रसिंह पंवार .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 की ओर से

3. प्रतिवादी संख्या............04, 06, 07............अनुपस्थित।

4 तहसीलदार, बाली ....पेरोकार सरकार

दिनांक : 20..04.2022

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम लुन्दाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1131 रकबा 1.6300 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के सबंध में वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का वादी को 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सात, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 लगाय 07 प्रत्येक का 1/30, 1/30 हिस्सा यानि कुल 1/6 हिस्सा का खातेदार मानते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के मध्य इन्ही हिस्सो अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7 वकालतन/असालन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह पंवार ने वादी के वाद पत्र के अनुसार व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार बांई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् सहमति प्रकट करने से पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम लुन्दाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 1131 रकबा 1.6300 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 8.15 रूपये के सबंध में रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो में विभाजन के समय राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 66, 67, 68 के प्रावधानो तथा राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमॉकः रा.म./ न्याय/स्था./ प–51/2008/ विविध/ 10546 दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 में वर्णित निर्देशो की पालना की जावे एवं साथ ही प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट में आई भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा नंबर, रकबा, किस्म, लगान ईत्यादि दर्शाया जावे। तथा प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते आदि की सुविधाओ को भी ध्यान में रखा जावे। प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि तथा शामलात में रखी गई भूमि को नजरी नक्शे में पृथक–पृथक रंगो से दर्शाया जावे। नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जावे।

प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल बाद पी.डी. पालना दिनांक 18.05.2022 को पेश हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

वादीः–

भंवरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंहजी जाति राजपुत
निवासी लुन्दाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जब्बरसिंह पुत्र धनसिंहजी
2. भरतसिंह पुत्र करणसिंहजी
3. शैतानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंहजी
4. हनवन्तसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंहजी
5. हरीसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंहजी
6. अम्बाकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंहजी
7. पारसकंवर पुत्री राजेन्द्रसिंहजी तमाम जातिगण राजपुत
   निवासीगण लुन्दाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
8. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 87/2021 **Gcms No** 2021/231
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :– पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम लुन्दाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 1131 रकबा 1.6300 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 8.15 रूपये के सबंध में रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो में विभाजन के समय राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 66, 67, 68 के प्रावधानो तथा राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमॉकः रा.म./ न्याय/स्था./ प–51/ 2008/ विविध/ 10546 दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 में वर्णित निर्देशो की पालना की जावे एवं साथ ही प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट में आई भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा नंबर, रकबा, किस्म, लगान ईत्यादि दर्शाया जावे। तथा प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते आदि की सुविधाओ को भी ध्यान में रखा जावे। प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि तथा शामलात में रखी गई भूमि को नजरी नक्शे में पृथक–पृथक रंगो से दर्शाया जावे। नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जावे। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल बाद पी.डी. पालना दिनांक 18.05.2022 को पेश हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.04.2022 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 87/2021 Gcms No 2021/231

दायरा तिथि : 22.09.2021

प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2022 फाईनल डिक्री दिनांक 23-6-2022

वादी:–

भंवरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंहजी जाति राजपुत
निवासी लुन्दाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जब्बरसिंह पुत्र धनसिंहजी
2. भरतसिंह पुत्र करणसिंहजी
3. शैतानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंहजी
4. हनवन्तसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंहजी
5. हरीसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंहजी
6. अम्बाकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंहजी
7. पारसकंवर पुत्री राजेन्द्रसिंहजी तमाम जातिगण राजपुत
   निवासीगण लुन्दाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
8. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थितिः–

1 श्री हेमन्त बोरा .... अभिभाषक वादी की ओर से
2 श्री राजेन्द्रसिंह पंवार .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 की ओर से
3 प्रतिवादी संख्या.............04, 06, 07.............अनुपस्थित।
4 श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार ....पेरोकार सरकार

दिनांक : 23-6-2022

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम लुन्दाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1131 रकबा 1.6300 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के सबंध में वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का वादी को 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सात, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 लगाय 07 प्रत्येक का 1/30, 1/30 हिस्सा यानि कुल 1/6 हिस्सा का खातेदार मानते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के मध्य इन्ही हिस्सो अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7 वकालतन/असालन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह पंवार ने वादी के वाद पत्र के अनुसार व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् सहमति प्रकट करने से पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम लुन्दाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 1131 रकबा 1.6300 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 8.15 रूपये के सबंध में रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2022 को जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो के मध्य विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/ 2022/429 दिनांक 06.06.2022 से निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गयेः–

क्र0 स0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	विशेष विवरण
01	भंवरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार	1131/1	0.8150 हैक्टर	बारानी दोयम	4.0750	आसमानी रंग
02	भरतसिंह पुत्र करणसिंह हि.1/3, जब्बरसिंह पुत्र धनसिंह हि. 1/3,अम्बाकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह हि. 1/15, पारसकुंवर पुत्री राजेन्द्रसिंह हि. 1/15, शैतानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह हि. 1/15, हनवन्तसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह हि. 1/15, हरीसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह हि. 1/15 कौम राजपुत सा. देह खातदार	1131	0.8150 हैक्टर	बारानी दोयम	4.0750	लाल रंग

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 07/2021 **Gcms No** 2021/231

अनवान अचलाराम बनाम छोगाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री हेमन्त बोहरा एवं वकील प्रतिवादी श्री राजेन्द्रसिंह पंवार ने तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम लुन्दाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1131 रकबा 1.6300 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 8.15 रूपये के सबंध में तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क्र० स०	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	विशेष विवरण
01	भंवरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार	1131/1	0.8150 हैक्टर	बारानी दोयम	4.0750	आसमानी रंग
02	भरतसिंह पुत्र करणसिंह हि.1/3, जब्बरसिंह पुत्र धनसिंह हि. 1/3,अम्बाकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह हि. 1/15, पारसकुंवर पुत्री राजेन्द्रसिंह हि. 1/15, शैतानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह हि. 1/15, हनवन्तसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह हि. 1/15, हरीसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह हि. 1/15 कौम राजपुत सा. देह खातदार	1131	0.8150 हैक्टर	बारानी दोयम	4.0750	लाल रंग

तहसीलदार,बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 11.96 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, लुन्दाडा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 23-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner